

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रामपंचायत पेयजल

विधायक और ईडी

जनपद- मंडी

ग्रामपंचायत पेयजल

ग्राम पंचायत में दिनांक 28/04/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनुजाती / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे/भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं
1	वंशनाल	मनुजाती	50 अध्यक्ष	9651486055
2	राधाकेन्द्र जी पाठेय	सामान्य	45 सचिव	9555321429
3	टिक्केश यादव	पिछड़ावर्ग	35 कोषाध्यक्ष	9936520763
4	जिलाजीत	मनुजाती	50 सामान्य सदस्य	9936845113
5	ओडेन्ड तिवारी	सामान्य	30 सामान्य सदस्य	8153939985
6	जालती देवी	मनुजाती	48 सामान्य सदस्य	8400310137
7	मुनम देवी	पिछड़ावर्ग	30 सामान्य सदस्य	9337044832
8	आपशीष मादूर	पिछड़ावर्ग	32 सामान्य सदस्य	9337044832
9	फपुर चन्द्र पाठेय	पिछड़ावर्ग	40 सामान्य सदस्य	9330971840
10	मुजा तिवारी	सामान्य	33 सामान्य सदस्य	
11	मन्नो देवी	मनुजाती	51 सामान्य सदस्य	9170480528
12	कंरा याल	मनुजाती	52 सामान्य सदस्य	9793030396
13	विजय शंकर	मनुजाती	58 सामान्य सदस्य	9336425062
14	फूलदेवी	मनुजाती	42 सामान्य सदस्य	7880509188
15	जुनादेवी	मनुजाती	60 सामान्य सदस्य	9934018717

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्ययाही करें।

- 5— कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरः—

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्माण अगूर्गों
1	बंशलाल	अध्यक्ष	बंशलाल
2	राधकेन्द्र जी पाठेप	सचिव	
3	दिनेश पाद्य	कोषाध्यक्ष	दिनेश पाद्य/पाद्य
4	जिलाजीत	सामान्य सदस्य	जिलाजीत
5	योगेन्द्र तिवारी	सामान्य सदस्य	योगेन्द्र
6	लालती देवी	सामान्य सदस्य	लालती
7	पुनम देवी	सामान्य सदस्य	पुनम देवी
8	जाइय पाद्य	सामान्य सदस्य	जाइय पाद्य
9	कपुरेन्द्र पाद्य	सामान्य सदस्य	कपुरेन्द्र पाद्य
10	उषा तिवारी	सामान्य सदस्य	उषा तिवारी
11	मन्ती देवी	सामान्य सदस्य	
12	कंशलाल	सामान्य सदस्य	
13	विजय पाठेप	सामान्य सदस्य	विजय पाठेप
14	फलदेवी	सामान्य सदस्य	
15	जुना देवी	सामान्य सदस्य	